रा०ज०वा०क्रं. 157/18 इरफ़ान v/s सरकार

24.9.18

वकील जानकिक एवं. जानकिक की ओर से वकील विद्युत विभाग के लिए हाजिर की गई। चूंकि वर्तमान में पूरा क्षेत्र विद्युतीकृत हो चुका है उसी कारण पावर जानकार भी निर्धारित क्षेत्र में कार्य करने में असमर्थ है। अतः ये केस खारिज किया जाता है।

अपर कलक्टर, नागौर

कार्यालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान